

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामो),
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
पाश्वर्कित जनपद,
उ०प्र०।

94

पत्रांक:- 5/543 /25/2018/2021

लखनऊ दिनांक: 19 जुलाई, 2021

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत गोबर धन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत गोबर-धन परियोजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। गोबर-धन परियोजना गांव से उत्सर्जित होने वाले कैटल डंग (गोबर) एवं जैविक कचरे के समुचित निपटान करने के साथ-साथ वेस्ट टू वेल्थ परिकल्पना पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना में 36 जनपदों यथा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट (बांदा), गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जालौन, ललितपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, चन्दौली, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर व उन्नाव को लक्ष्य के रूप में लिया गया है। परियोजना का अनुश्रवण भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। गोबर-धन योजना में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण उच्च स्तर निरन्तर रोष प्रकट किया जा रहा है। अतः उक्त 36 जनपदों में गोबर-धन योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

इस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक जूम मीटिंग (वीडियो कान्फ्रेंसिंग) का आयोजन कल दिनांक 20.07.2021 को अपराहन 3:30 बजे से किया जा रहा है। जिसमें गोबर-धन योजना अन्तर्गत बायोगैस प्लान्ट स्थापित किये जाने सम्बन्धी विषय पर चर्चा की जानी है। जूम मीटिंग का लिंक आदि विवरण पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

इसी क्रम में कतिपय जनपदों द्वारा गोबर-धन परियोजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट लगाये जाने सम्बन्धी कार्ययोजना/प्रस्ताव मिशन कार्यालय को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि उक्त का अनुमोदन प्रदान किया जाये। इस सम्बन्ध में मिशन कार्यालय के पत्र संख्या-5/1575/2020-5/25/2018 दिनांक 09.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सभी जनपदों में गोबर-धन सेल का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त गोबर-धन सेल में सदस्य के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक डी०आर०डी०ए०, डी०पी०आर०ओ०, जिला समाज कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी (यू०पी० नेडा), प्रबंधक (पी०सी०डी०एस०) आदि को समिति में रखा जाना प्राविधानित है। उक्त पत्र के माध्यम से गोबर धन सेल के दायित्वों के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया है, जो कि निम्नवत् है-

आगरा
अलीगढ़
अयोध्या
आजमगढ़
बरेली
बस्ती
चित्रकूट (बांदा)
गोण्डा
गोरखपुर
झांसी
कानपुर नगर
लखनऊ
मेरठ
मिर्जापुर
मुरादाबाद
प्रयागराज
सहारनपुर
वाराणसी
मथुरा
मैनपुरी
फिरोजाबाद
जालौन
ललितपुर
देवरिया
कुशीनगर
महाराजगंज
कानपुर देहात
औरैया
इटावा
फर्रुखाबाद
कन्नौज
चन्दौली
बलिया
जौनपुर
गाजीपुर
उन्नाव